सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रकरण सं0 01/2017
राज्य सरकार जरिये योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, नॉगल राजावतान/लवाण
..प्रार्थी
बनाम
1. कमलेश कुमार मीणा उचित मूल्य दुकानदार पापडदा तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
2. योगेश कुमार मीणा पिकअप चालक निवासी पापडदा तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
..अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः 1. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
2. श्री दुर्गा प्रसाद सैनी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 एक

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 20.12.2017

सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक, नॉगल राजावतान द्वारा दिनांक 07.02.2017 को अधिक मात्रा चीनी 49.650 किलो व केरोसिन 8 लीटर तथा जब्त किये गये 34.80 क्वि0 गेहूँ मय बारदाना व पिकअप आरजे 14 जीडी–6937 को राजसात करने हेतु निवेदन किया ।

प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि जिला रसद अधिकारी दौसा के आदेशानुसार थाना परिसर नॉगल राजावतान में रखी गेहूँ से भरी पिकअप सं0 आरजे 14 जीडी 6937 में 61 कट्टे हाथ से सिले हुए (41 कट्टे जूट के व 20 कट्टे प्लास्टिक के) गेहूँ की जॉच की गई। इनका कुल वजन मय बारदाना 34 क्वि0 80 किग्रा0 है। जिसमें से पिकअप सहित वनज 56.15 क्वि0 जिसमें 21. 35 क्वि0 वजन पिकअप का तथा 34.80 क्वि0 वनज गेहूँ का मय बारदाना है। वाहन चालक द्वारा उक्त गेहूँ को ग्राम पापडदा के उचित मूल्य दुकानदार कमलेश मीणा का बताया, जिसे वह ओम इण्ड्रीज दौसा ले जा रहा था। वाहन चालक के बयानों तथा पुलिस थानाधिकारी नॉगलाजावतान द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर उक्त गेहूँ को प्रथम दृष्ट्या उचित मूल्य दुकानदार कमलेश मीणा का मानते हुए जब्त किया गया साथ ही उचित मूल्य दुकानदार की मौके की जॉच की गई। उचित मूल्य दुकानदार के दिनाक 06.10.2016 के आदेशानुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति पापडदा का अटेचमेंट लगा हुआ था। दोनों दुकानों की जॉच करने पर कई अनियमितता पाई गई।मौके पर मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड पर सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया न ही NfSA सूची चस्पा की गई। मौके पर राशन डीलर नहीं मिला बल्कि उसका भाई मिला जिसने किसी भी प्रकार का अभिलेख व नक्शा आदि जॉच हेतु पेश नहीं किये गये तथा दुकान की जॉच करने पर चीनी 49.650 किलो व केरोसिन 8 लीटर अधिक मात्रा में पाये गये इसके अलावा 34.80 क्वि0 गेहूँ मय बारदाना जब्त किया गया। डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 33/2017 दिनांक 22.02.2017 को थाना नॉगलराजावतान में दर्ज करवाई जा चुकी है, जो विचाराधीन है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 व जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,5,10,11 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के तहत दण्डनीय है। अतः जब्तशुदा किया गया अधिक मात्रा चीनी 49.650 किलो व केरोसिन 8 लीटर तथा जब्त किये गये 34.80 क्वि0 गेहूँ मय बारदाना व पिकअप आरजे 14 जीडी–6937 को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि जब्त किया गया सामान ने उनका कोई लेना देना नहीं है बल्कि पिकअप चालक झूँठ बोल रहा हैं। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 17.05.2017 को जरिये अधिवक्ता जवाब दरख्वास्त पेश कर जब्तशुदा गेहूँ 34.80 क्वि0 से कोई संबंध नहीं हैं। साथ ही यह भी अंकित किया है कि जब्तशुदा गेहूँ को राजसात किया जाता है, तो अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं हैं।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 07.02.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा थाना नॉगल राजावतान में जब्त पिकअप की जॉच करने पर प्रथम दृष्ट्या माल डीलर कमलेश मीणा का होने पर अधिक मात्रा चीनी 49.650 किलो व केरोसिन 8 लीटर तथा जब्त किये गये 34.80 क्वि0 गेहूँ मय बारदाना को जब्त किये जाकर जब्तशुदा माल मय पिकअप आरजे 14 जीडी–6937 को राजसात करने हेतु निवेदन किया । साथही प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट 33/2017 दिनांक 22.02.2017 को थाना नॉगलराजावतान में दर्ज करवाई गई। प्रकरण से यह तथ्य तो भलीभॉति स्पष्ट प्रतीत होते है कि जब्तशुदा माल डीलर का ही है और वे इससे बचने के लिए न्यायालय के समक्ष उक्त माल से उनका कोई संबंध नहीं होना बता रहे है। यदि ऐसा था, तो मौके पर उनको मौजूदा मिलना चाहिए था और जॉच अधिकारी को वॉछित रिकॉर्ड पेश करना चाहिए था किंतु उन्होनें मौके पर उपस्थित होना ही उचित नहीं समझा जो उनकी सोची समझी चाल थी। उनकी दुकान में अधिक मात्रा में चीनी व केरोसिन भी उपलब्ध मिला है, इससे स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त कम पाई राशन सामग्री की कालाबाजारी व राशन सामग्री का दुरूपयोग किया गया है। वाहन पिकअप सं0 आर0जे0 14 जीडी–6937 को इस न्यायालय द्वारा 14.03.2017 को सुपुर्दगी में दिया जा चुका है। सुपुर्दगी के पेटे दिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाकर वाहन जब्ती से मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 2 योगेश कुमार मीणा का फौत होने के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना नॉगलराजावतान से रिपोर्ट लिये जाने पर उनके द्वारा अप्रार्थी सं0 2 का मृत्यु प्रमाण–पत्र भिजवाया गया है तदनुसार अप्रार्थी सं0 2 की दिनांक 21.02.2017 को मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी सं0 2 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाना भी न्यायोचित है। डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 33/2017 दिनांक 21.02.2017 को थाना नॉगलराजावतान में दर्ज करवाई जा चुकी है, जो विचारण है। मौके की जॉच फर्द जब्ती, बयान गवाह से यह स्पष्ट है कि डीलर द्वारा उक्त कार्य कालाबाजारी कर राशन की सामग्री बाजार में बेचकर अधिक मुनाफा कमाने की गरज से किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 व जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,5,10,11 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अतः जब्तशुदा गेहूँ, चीनी, केरोसिन मय बारदाना को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है। अतः अधिक मा़त्रा में मिली चीनी 49.650 किलो व केरोसिन 8 लीटर तथा जब्त किये गये 34.80 क्वि0 गेहूँ मय बारदाना राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। वाहन जब्ती से मुक्त किया जाता है व अप्रार्थी सं0 2 योगेश कुमार मीणा के विरुद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक:20 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official